



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

11 ज्येष्ठ 1942 (श0)
(सं0 पटना 337) पटना, सोमवार, 1 जून 2020

परिवहन विभाग

अधिसूचना

1 जून 2020

सं0 05/स्था0-146/2007-4241—आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विश्वनाथ चौधरी, बि0प्र0से0, आयुक्त के सचिव, छपरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

सं0 05/स्था0-146/2007-4242—आयुक्त, मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री जैनेन्द्र कुमार, बि0प्र0से0, आयुक्त के सचिव, मुंगेर को अपने कार्यों के अतिरिक्त संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, मुंगेर के कार्यों के निष्पादन हेतु अगले आदेश तक शक्ति प्रत्यायोजित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र नाथ,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 337-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>